राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुरेश कुमार बनाम गोपाल उर्फ़ रामगोपाल 778/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06/07/2021 पारित करते हुये उभयपक्षकारान को जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किये जाने विवादगस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द फरमा दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/10/2021 पारित करते हुये उभयपक्ष कारान को ताफैसला मूलवाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल प्रकरण विभाजन का है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश के माध्यम से विवादित भूमि की यथास्थिति को बनाये रखने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह प्रथमदृष्टया तो उचित प्रतीत होता है किन्तु सहखातेदारान के विरासत व हक़त्याग के आधार पर होने वाले इन्द्राजात में अपीलाधीन आदेश के प्रभाव में रहने से सहखातेदारान को अनावश्यक परेशानी होने का तथ्य दौराने बहस जाहिर हुआ है एवं विरासत एवं हक़त्याग का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात होने से विभाजन को प्रकरण पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ना स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में विरासत एवं हक़त्याग किये जाने की हद तक छुट दिया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर सहखातेदारान द्वारा विरासत एवं हक़त्याग किये जाने एवं उनका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने की हद तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/10/2021 ने शिथिलता प्रदान करते हुये केवल मात्र इस हद तक निरस्त किया जाता है। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तमील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	